आंगनबाड़ी केन्द्रों में घटिया किस्म के भोजन का दिया जाना

273. **श्री शांति त्यागी** : क्या मानव संसाधन विकास : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में घटिया किस्म के भोजन का वितरण किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन केन्द्रों हेतु एक फर्म से हाल ही में दो करोड़ रुपये की मूंगफली खरीदी गई, जो घटिया किस्म की थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (**श्री अर्जुन सिंह**) : (क) और (ख) आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार की सप्लाई राज्य का विषय है। दिल्ली प्रशासन द्वारा कुछ मामलों में घटिया स्तर की खाद्य सामग्री प्राप्त किए जाने के संबंध में भारत सरकार को 1991-92 और 992-93 में सूचना प्राप्त हुई थी। परन्तु सतर्क कर्मचारियों द्वारा ये घटिया खाद्य सामग्री आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरित नहीं होने दी गई। दिल्ली प्रशासन ने सप्लाई ठेका रद्द करने और/अथवा सिक्योरिटी की राशि जब्त करने अथवा घटिया खाद्य-सामग्री को बदलने को तत्काल कार्रवाई की। मालेगांव आई. सी. डी. एस. परियोजना में घटिया स्तर की खाद्य सामग्री सप्लाई किए जाने के संबंध में हाल ही में महाराष्ट्र से एक और शिकायत प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार को तदनुसार निर्देश दिए गए हैं कि उक्त परियोजना की आंगनबाड़ियों में अच्छी किस्म की खाद्यसामग्री की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने 1992-93 के दौरान भुनी हुई मूंगफली खरीदने हेतु आदेश दिए थे। प्रशासन ने नवम्बर, 1992 में एक नमूना परीक्षण के द्वारा यह पाया कि प्रोटीन और कैलोरी तत्व अनुमोदित नमूनों की तुलना में जरा कम थे। नमूना परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, भुनी हुई मूंगफली की सप्लाई-कर्ता को दिल्ली प्रशासन द्वारा तत्काल चेतावनी दी गई। बाद में सप्लाई की गई खाद्य-सामग्री के नमूनों के विश्लेषण से इस बात की पुष्टि हो गई कि मूंगफली में कैलोरीफिक और प्रोटीन की गुणवत्ता/मात्रा नमूनों के लिए अनुमोदित मानदण्डों के अनुरूप थी।

गुजरात में राष्ट्रीयडेयरो विकास बोर्ड वाली परियोजनाएं

*274 **श्री गोपाल सिंह जो सोलंकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड गुजरात में कुछ परियोजनाएं स्थापित करने का विचार रखता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा गुजरात में सहकारी समितियों को वार्षिक रूप से प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ : (क) जी, नहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहकारी संस्थाओं को केवल वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है : —

वर्ष	(लाख रुपये में)
1990-91	1988.10
1991-92	1908.60
1992-93	2967.36

Coconut Cultivation

*275. SHRI K. K. VEERAPPAN :

SHRI V. GOPALSAMY : Will the Minister of AGRICULTURE be

pleased to refer to answer to Starred Question 99 given in the Rajya Sabha on 30th April, 1993 and state :

(a) the total amount disbursed for the removal of diseased coconut plams in each State during the last three years, year-wise and Statewise ;

(b) the quantity of protection chemical distributed to farmers in each State during the last three years;

(c) the number of farmers, who were given financial assistance during the last three years in each State, year-wise and what is the maximum amount given to a farmer in each State;

(d) whether Goevrnment are aware of the fact that some State Governments have failed to provide assistance either to remove diseased palm trees or to provide protection chemicals in time to farmers; and

(e) if so, what steps Government propose to take to protect coconut cultivation?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) : (a) Amount allocated for removal of diseased palms, Statewise and year-wise, are as under :—

	Total amount allotted (Rs. in lakhs)
KERALA	
1990-91	9.375
1991-92	109.600
1992-93	105.000
	223.975
ANDHRA PRADESH	
1990-91	The scheme was not sanctioned
1991-92	75.000
1992-93	
PONDICHERRY	
1990-91	
1991-92	The scheme was not sanctioned
1992-93	4.500
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	
1990-91	The scheme was not sanctioned
1991-92	4.5000
1992-93	
LAKSHADWEEP	
1990-91	The scheme was not sanctioned
1991-92	4.500
1992-93	

Figures for 1992-93 are indicating the targets since the actua report is yet to be received

(b) No plant protection chemicals were distributed by the Coconut Development Board during the last three years. However, assistance for purchase of plant protection chemicals was provided @ Rs. 100/- per hectare during 1991-92 covering 4800 hectare area in Kerala.

(c) Information on the number of farmers benefited under the programme are not being maintained.

(d) No, Sir.

(e) The Coconut Development Board has proposed to implement a Comprehensive programme during Eight Plan period for improving the productivity of coconut and protection of coconut cultivation by removing diseased/unproductive palms, replanting with quality seedlings, adopting plant protection measures etc. During 1993-94, an outlay of Rs. 18.00 crores has been provided for the total coconut development programme, of which Rs. 4.796 crores will be utilised for the removal of diseased palms and plant proteciton.

खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डारण

276 **श्री नृपेन्द्र सिंह मान : श्री सोमपाल** : क्या **खाद्य** मंत्री **ये** बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मंत्रालय ने खाद्य मंत्रालय को सलाह दी है कि वह गेहूं के साथ-साथ मोटे अनाजों की भी पर्याप्त मात्रा में खरीद सुनिश्चित करें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी गोदामों में कुल कितना अनाज खराब हुआ है ?

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में गोदामों में खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

1098 RSS/94—4

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) :

(क) और (ख) कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग ने सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों और राज्य की वसूली एजेंसियों के सहयोग से समर्थन मूल्य के अधीन खाद्यान्नों (मोटे अनाजों सहित) की वसूली करने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर अपनी उपज न बेचनी पड़े।

रबी विपणन मौसम, 1990-91 से भारतीय खाद्य निगम को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मोटे अनाजों (दोनों रबी और खरीफ) के बारे में मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एक केन्द्रक एजेंसी के रूप में नामजद किया गया है भारतीय खाद्य निगम द्वारा संबंधित राज्य सरकारों की उपयुक्त एजेंसियों अर्थात् राजकीय सहकारी कृषि विपणन संघों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों, आदि के साथ मिलकर ऐसे सभी मूल्य समर्थन परिचालन किए जा रहे हैं। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1992-93 के दौरान 12 मई, 1993 तक 7.83 लाख मीटरी टन मोटे अनाजों की वसूली कर ली गई है जबकि पिछले खरीफ विपणन मौसम की इसी अवधि के दौरान मोटे अनाजों की नगण्य मात्रा की वसूली की गई थी। जहां तक वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1993-94 के दौरान रबी के मोटे अनाजों (जौ) की वसूली करने का संबंध है भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य की वसूली एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे क्रय केन्द्रों/बाजारों/मंडियों न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर बिक्री के लिए पेश किए गए विहित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप मोटे अनाजों (जौ) की समस्त मात्रा खरीद ली जाए।

(ग) 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान भंडारण (ढके हुए और कैप कम्पलैक्सों में) के दौरान तथा रेल/सड़क मार्ग में वर्षा, बाढ़ों और चक्रवातों के कारण तथा बहु हैंडलिंग की